(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 15 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 02 जुलाई, 2018

विषयः आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची – 1 (आयात नीति) के अध्याय 07 के तहत मटर की आयात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ.): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची 1 (आयात नीति) में निम्नलिखित संशोधन करते हैः

2. दिनांक 25/04/2018 की अधिसूचना सं. 04/2015–2020 के अनुसार एक्जिम कोड 0713 10 00 (पीले मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर) के तहत वर्गीकृत मटर के आयात पर दिनांक 30/06/2018 तक लागू प्रतिबंध को आगे दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक बढाया जाता है।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः** एक्जिम कोड 0713 10 00 (पीले मटर, हटी मटर, डन मटर, और कास्पा मटर सहित) के तहत वर्गीकृत मटर के आयात पर प्रतिबंध आगे तीन महीने की अवधि अर्थात, दिनांक 30.09.2018 तक बढाया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2(ए)/भाग–VI/ई–9019 से जारी)